पत्रांक 868 /आयु0कर उत्तरा0/पत्रा0–196/2014–15/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(आई0टी0–अनुभाग)
दिनांक :: देहरादून :: 27 मई, 2014

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

:–परिपत्र:–

(कर निर्धारण वादों के निस्तारण हेतु टैक्स एसेसमेंट माड्यूल पर कर निर्धारण कार्यालयो द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया के सम्बन्ध में दिशा निर्देश)

जैसा कि आप अवगत हैं कि विभागीय अभिलेखों को त्रुटिहीन/पारदर्शी बनाने तथा व्यौहारियों को त्वरित, सक्षम तथा आसान उपलब्धता के आधार पर सेवा प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा कार्यालयों में किए जा रहे राजकीय कार्यों का कम्प्यूटराइजेशन तथा ऑटोमेशन किया जा रहा है। इसके तहत कई मॉडयूल यथा पंजीयन, सावधिक विवरणी, फार्म जारी करना, प्रान्त बाहर से होने वाले सम्व्यवहार इत्यादि के माड्यूल सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसी कम में **कर निर्धारण वादों के निस्तारण हेतु कर निर्धारण कार्यालयो द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया** सम्बन्धी टैक्स एसेसमेंट माड्यूल पर कार्य प्रगतिशील है। प्रथम चरण में कर निर्धारण से सम्बन्धित अवशेष वादों की सूची, अन्य कर निर्धारण कार्यालयों को वादों का स्थानान्तरण, डीम्ड कर निर्धारण तथा अन्यथा निर्धारित नियमित वादों के निस्तारण का विवरण इन्ट्रानेट तथा विभागीय वेबसाइट पर रखे जाने हेतु माड्यूल तैयार किया गया है। यह चरण दिनांक 01.06.2014 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त के सम्बन्ध में कर निर्धारण कार्यालयों द्वारा निम्न प्रकिया अपनायी जाएगी:–

- **अवशेष वादों की सूची तैयार करना:–**

यह कार्य प्रत्येक कर निर्धारण कार्यालय द्वारा किया जाना है। अवशेष वादों की सूची तैयार करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी तथा उस कार्यालय के व्यैक्तिक सहायक/व्यैक्तिक अधिकारी (अथवा कर निर्धारण कार्यों हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेशित/प्राधिकृत अन्य कोई कर्मचारी) जिम्मेदार होंगे तथा किसी कर निर्धारण वर्ष विशेष अथवा कर निर्धारण वर्षों के लिए अवशेष वादों की सूची तैयार करेंगे।

1. सूची तैयार करने हेतु इन्ट्रानेट पर उपलब्ध Login Page (C.T Application) पर Login करेंगें।
2. Login करते ही स्कीन पर Menu Page खुलेगा जिस पर Application software module शीर्षक के तहत उपलब्ध Options में से Tax Assessment system option को क्लिक करेंगे।

868
27/5/14

3. क्लिक करते ही दृष्टव्य शीर्षकों में से Pendency शीर्षक पर क्लिक करेंगे/कर्जर रखें। अब आपको इस शीर्षक के तहत उपलब्ध सभी Options दिखायी देंगे। आपको प्रथम Option "Create Pendency" को क्लिक करना है। क्योंकि किसी कर निर्धारण वर्ष मे अवशेष वादों की सूची तैयार हो जाने के पश्चात् ही संगत वर्ष से सम्बन्धित अन्य कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी। यह भी अवगत कराना है कि अवशेष वादों की सूची केवल नियमित वादों के सम्बन्ध में तैयार हो पाएगी। अन्य वादों यथा धारा 31, प्रतिप्रेषित, अर्थदण्ड अथवा पुनर्करनिर्धारण इत्यादि वादों के सम्बन्ध में अभी यह व्यवस्था नही है।
4. Create Pendency को क्लिक करते ही स्क्रीन पर कर निर्धारण वर्ष के चयन हेतु Assessment Year के सम्मुख select का बटन क्लिक करने पर कर निर्धारण वर्ष का Option यथा 2011–12 अथवा 2012–13 इत्यादि दिखाई देंगे। चूंकि माड्यूल का प्रथम चरण ही पूरा हुआ है तथा वर्ष 2010–11 तक का नियमित कर निर्धारण लगभग समाप्त हो चुका है अतः आप वर्ष 2011–12 एवं पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए ही Option क्लिक करें।
5. लक्षित कर निर्धारण वर्ष का चयन करने के पश्चात् उसी के नीचे प्रदर्शित Submit का बटन क्लिक करेंगें। इस प्रकार आपके द्वारा लक्षित कर निर्धारण वर्ष हेतु अवशेष नियमित वादों की सूची तैयार हो गयी है। इस सूची को Pendency शीर्षक के अन्तर्गत Dropdown में उपलब्ध **View Case Type Wise Pendency** Option का उपयोग करके देखा जा सकता है।

- **<u>वादों का स्थानांतरण :–</u>**

वर्तमान में वाणिज्य कर अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, तथा डिप्टी कमिश्नर द्वारा वादो के कर निर्धारण किए जाने हेतु अधिकार क्षेत्र विक्रय आर्वत की मौद्रिक सीमा के आधार पर निर्धारित है। इस कारण यह सम्भव है कि इस समय कोई व्यौहारी जिस कार्यालय में व्यवहरित हो, उससे सम्बन्धित किसी पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष की कर निर्धारण पत्रावली तत्वर्ष में विक्रय आर्वत के आधार पर भौतिक रूप से किसी अन्य कर निर्धारण कार्यालय में उपलब्ध है। **<u>उदाहरणार्थ</u>** यदि कोई व्यापारी वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में व्यवहरित है तो ऐसा भी सम्भव है वर्ष 2011–12 में व्यौहारी का विक्रय आर्वत 01 करोड से कम होने के कारण पत्रावली असिस्टेंट कमिश्नर कार्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर स्तर अथवा वाणिज्य कर अधिकारी स्तर पर उपलब्ध हों या इसके उलट परिस्थिति भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जिस कार्यालय में कर निर्धारण पत्रावली भौतिक रूप में उपस्थित हैं उस कार्यालय के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लिखित रूप में उस कार्यालय के कर निर्धारण अधिकारी को जिसमें व्यौहारी वर्तमान में व्यवहरित है, पत्रावली का विवरण देते हुए वाद स्थानांतरण हेतु आग्रह किया जाएगा। यदि व्यौहारी के व्यवहरित कार्यालय के सम्बन्ध में कोई संशय है तो अधिकारी विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध Search a dealer Option का उपयोग करके सही कार्यालय से पत्राचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त मामले में शीघ्र निस्तारण हेतु दूरभाषिक अथवा कार्यालय एक ही स्थान होने पर व्यक्तिगत स्तर पर भी अनुरोध किया जा सकता है। किन्तु लिखित आग्रह भी अवश्य कर लिया जाए।

868
27/5/14

अनुरोध प्राप्त होने पर स्थानांतरणकर्ता कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार स्थानांतरण किया जाएगा:–

1. Pendency शीर्षक के अन्तर्गत Transfer cases का विकल्प उपलब्ध है इसको क्लिक करने पर दृष्टव्य select year के बटन से लक्षित कर निर्धारण वर्ष क्लिक करें तत्पश्चात् Submit को क्लिक करने पर आपके सम्मुख स्कीन पर उस कर निर्धारण वर्ष के समस्त अवशेष वादों की सूची उपलब्ध हो जाती है। जिसमें से स्थानांतरण किये जाने वाले वाद के समक्ष अंकित Transfer Option पर क्लिक करने से नीचे की ओर स्कोल करने पर कुछ सूचनाएं पूर्ण की जानी है। जिनको अंकित करने के पश्चात् नीचे अंकित Transfer पर क्लिक करने से स्थानांतरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है।

- **<u>दिनांक 01.06.2014 से पूर्व निस्तारित वादों को Pendency सूची से हटाया जाना</u>**

इस हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जाएगी:–

1. Pendency शीर्षक के अन्तर्गत Drop down menu में से Dispose/scrutiny cases विकल्प को क्लिक करें।
2. Assessment Year के सम्मुख अंकित select बटन से year select करते हुए submit पर क्लिक करें।
3. अब स्कीन पर उपलब्ध सूची के सबसे दायीं ओर Dispose the case विकल्प पर क्लिक करें।
4. आपके सम्मुख एक नई स्कीन उपलब्ध होगी जिसमें वाद को Dispose करने के संक्षिप्त कारण एवं date of order अंकित करने के पश्चात् dispose case पर click करें।
5. उक्त वाद Pendency list में से हट जायेगा। यही प्रकिया टिन विशेष के लिए भी अपनायी जा सकती है।

- **<u>डीम्ड निस्तारण</u>**

वाद को डीम्ड करने हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जाएगी:–

1- Pendency शीर्षक के अन्तर्गत Drop down menu से Dispose/scrutiny cases विकल्प को क्लिक करें।

2- Window खुलने पर Assessment Year के सम्मुख select बटन से Assessment year select करते हुए submit पर क्लिक करें।

3- सम्बन्धित वर्ष के लम्बित वादों की उपलब्ध सूची के कॉलम case scrutiny में प्रत्येक वाद के सम्मुख Proceed Option अंकित है। जिन वादों का निस्तारण Deemed किया जाना है, उनको Select करें।

4- स्क्रीन पर Display होने वाले फार्म में आवश्यक सूचनायें 'ए' 'बी' तथा 'सी' को पूर्ण रूप से सावधानीपूर्वक भरते हुए **"प्रस्तुत करें"** बटन पर क्लिक करें। जिसके पश्चात् Pop-up Window display होगी। जिस पर पूछा जायेगा "for deemed" O.K. Click करने पर पहले भरे फार्म के अंत में **"प्रस्तुत करें"** बटन के बगल मे **डीम्ड मार्क करें** बटन Display होगा। जिसे Click करने पर दूसरी Window open होगी।

5- स्क्रीन पर खुले फार्म में जमा कर, ब्याज इत्यादि का विवरण अंकित करते हुए save करे तथा अन्तिम रहतिया Enter करते हुए Forms Account सम्बन्धी विवरण भरते हुए सबसे नीचे अंकित **Marked as deeemed** बटन को क्लिक करें। वाद डीम्ड हो गया है।

निस्तारित तथा डीम्ड वादों की सूची Report शीर्षक के अन्तर्गत देखी जा सकती है।

उपरोक्त प्रकियानुसार डीम्ड योग्य वादों का निस्तारण करने के उपरान्त समस्त कर–निर्धारण अधिकारी अपने–अपने ज्वाइन्ट कमिश्नर के माध्यम से दिनांक 31.08.2014 तक यह रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगें कि उनके क्षेत्राधिकार में कुल कितने वाद Deemed किये गये तथा कितने वाद नियमित सुनवाई हेतु अवशेष हैं।

चूंकि अभी टैक्स एसेसमेंट माड्यूल पूरी तरह कियान्वित नहीं हुआ है। अतः कर निर्धारण कार्यालय में मैनुअली रखे जा रहे सभी अभिलेखों का रखरखाव पूर्ववत् होता रहेगा।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 868 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4– एडिशनल कमिश्नर (**आडिट/प्रवर्तन**) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
5– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमांऊ जोन रूद्रपुर
6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

868
27/5/14

7— ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

8— **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

9— **श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0—3) देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

10—Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13— आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई—400001 महाराष्ट्र।

11—National Law House बी—2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

12—National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

13—Swastk Publication एस0ई—233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

14—Law Book Traders 10—नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

15—डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

16— विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

17— समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड